बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

कार्यालय आदेश

संख्या–नि0को0गया–2042/2011................................../रा0, पटना–15, दिनांक–

निगरानी थाना कांड संख्या–037/2011, दिनांक–24.06.2011 धारा–7/13 (2) सह पटित धारा–13 (1) डी0भ्र0नि0अधि0 1988 के प्राथमिकी अभियुक्त श्री सुल्तान अहमद तत्कालीन अंचलाधिकारी, बेलागंज (गया), जिन्हें धावा दल द्वारा रिश्वत लेते पकड़े जाने के आरोप में दिनांक–24.06.11 को न्यायिक हिरासत में लिये जाने के फलस्वरूप कार्यालय आदेश ज्ञापांक–322 नि0को0 दिनांक–21.07.2011 द्वारा दिनांक–24.06.11 के प्रभाव से निलंबित किया गया था। श्री अहमद के जमानत पर कारावास से रिहा होने तथा आयुक्त कार्यालय, सारण प्रमण्डल छपरा में योगदान समर्पित करने एवं आयुक्त कार्यालय द्वारा योगदान स्वीकृत करने के पश्चात उन्हें कार्यालय आदेश ज्ञापांक–591 नि0को0 दिनांक–28.11.11 द्वारा निलम्बन से मुक्त किया गया।

श्री सुल्तान अहमद सम्प्रति सहायक बन्दोवस्त पदाधिकारी, (बन्दोवस्त कार्यालय, बिहारशरीफ, नालन्दा के पद पर पदस्थापित हैं। श्री अहमद के विरूद्ध गंभीर प्रकृति के आरोप हैं। इनके विरूद्ध प्रदत अभियोजन की स्वीकृति एवं चल रहे विभागीय कार्यवाही के कारण बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील नियमावली, 2005 के नियम 9 (i) क एवं 9 (3) (ii) के आलोक में इन्हें पुनः निलम्बित किया जाता है।

2 निलम्बन की अवधि में श्री अहमद को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा तथा इनका मुख्यालय प्रमंडलीय आयुक्त का कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना होगा।

इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही पूर्ववत चलती रहेगी।

ह0/–
(सी0 अशोकवर्धन)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक../रा0,.पटना, दिनांक–.......................................
प्रतिलिपि :– पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना को उनके पत्रांक–1051/अप0शा0 दिनांक–27.06.11 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(सी0 अशोकवर्धन)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक......668 (नि0को0)......../रा0,पटना, दिनांक–.....24/7/13......
प्रतिलिपि :– आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

24.7.13

(सी0 अशोकवर्धन)
प्रधान सचिव

FAX
E-mail

D:\section 4\2013\19.07.13.doc

E-mail

ज्ञापांक........668 (नि०को०)........पटना, दिनांक–.....24/7/13......

प्रतिलिपि :– जिला पदाधिकारी, भागलपुर/गया, कोषागार पदाधिकारी, पटना/भागलपुर/बन्दोवस्त पदाधिकारी, बन्दोवस्त कार्यालय, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/- 24.7.13

(सी० अशोकवर्धन)
प्रधान सचिव